प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 40 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक : 688 /वि0का0/2012–13 लखनऊ : दिनांक : 28 सितम्बर–2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष सामान्य मद अनुदान सं0–13 से सम्बन्धित मैंचिंग राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–1157/38–6–2012–58एसजीएसवाई/10, दिनांक 20–09–2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–13 सामान्य मद के अन्तर्गत हुई बजट व्यवस्था की धनराशि से विगत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि रू0 1370.395 लाख (रू0 तेरह करोड़ सत्तर लाख उन्तालिस हजार पांच सौ मात्र) जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 1370.395 लाख (रू0 तेरह करोड़ सत्तर लाख उन्तालिस हजार पांच सौ मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। नवसृजित जनपदों को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि अलग से भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। अतः इन जनपदों की धनराशि इनके पैतृक जनपदों को आवंटित की जा रही है। अतः सम्बन्धित पैतृक जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायें।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के075/रा025–रा0)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 193 पर कर ली गई है।

भवदीय,

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(अनिल गर्ग) 27/9
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 688 /वि0का0/2012–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1/2 उ0प्र0 शासन।
10. उप सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0–1157/38–6–2012–58एसजीएसवाई/10, दिनांक 20–09–2012 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(यू0 एन0 उपाध्याय)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

new Release 2011-12

पत्रांक : 688/वि0का0/2012–13 दिनांक : 28 सितम्बर, 2012 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 के शार्ट-फॉल की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान सं0–13 सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	6.43	11.13
2	GHAZIABAD	6.11	11.15
3	BULANDSHR	11.91	22.99
4	BAGPAT	3.94	6.83
5	MORADABAD	7.52	29.86
6	BIJNOR	19.98	46.53
7	RAMPUR	27.76	48.06
8	J B F NAGAR	18.78	32.52
9	BAREILLY	5.64	42.43
10	AGRA	20.93	38.03
11	FIROZABAD	13.57	23.50
12	MATHURA	13.91	24.08
13	ALIGARH	19.08	33.05
14	ETAH	12.87	25.21
15	KASGANJ	11.91	21.72
16	LALITPUR	18.16	31.44
17	HAMIRPUR	25.32	44.76
18	PRATAPGARH	36.16	103.39
19	KANPUR DEHAT	36.89	81.03
20	ETAWAH	34.19	59.20
21	KANNAUJ	24.73	42.82
22	ORRIYA	7.28	31.28
23	GHAZIPUR	70.75	122.49
24	SANT R. NAGAR	3.06	15.41
25	SITAPUR	143.29	227.12
26	LAKHIMPUR KHERI	104.42	180.79
27	RAEBAREILLY	20.00	96.23
28	GORAKHPUR	60.32	109.92
29	DEORIA	43.11	77.453
30	MAHRAJGANJ	38.69	66.97
31	BASTI	54.61	94.66
32	SIDHART NAGAR	44.90	81.31
33	MAU	38.29	66.29
34	BALLIA	33.58	77.29
35	FAIZABAD	13.01	46.85
36	BARABANKI	103.375	178.965
37	GONDA	51.23	104.70
38	BAHRAICH	112.39	187.11
39	BALRAMPUR	21.05	43.84
40	SHRAVASTI	31.25	53.76
State Total ::		1370.395	

(रू0 तेरह करोड़ सत्तर लाख उन्तालिस हजार पांच सौ मात्र)

(यू0 एन0 उपाध्याय)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

संख्या-1157 /38-6-2012-58एसजीएसवाई / 10

प्रेषक,

अवधेश नारायण,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक:20 सितम्बर, 2012

विषय:-वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत अमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष सामान्य मद अनुदान संख्या-13 से संबंधित मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-614 / वि0का0 / 2012-13 दिनांक 31 अगस्त, 2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्रांक-111 / वि0का0 / 2011-12, दिनांक 23 फरवरी, 2012 पर प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 27358.48 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की कुल धनराशि रू0 9119.493-6378.70लाख अर्थात् रू0 2740.793 लाख का 50 प्रतिशत रू0 1370.395 लाख मैचिंग राज्यांश की धनराशि अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत कतिपय कारणों से अवमुक्त नहीं की जा सकी थी, अत्एव स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में सामान्य मद अनुदान संख्या-13 में हुई बजट व्यवस्था से उक्त मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 1370.395 लाख शार्टफाल की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2013 तक व्यय की जा सके।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रांश के सापेक्ष ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा ।

(4) धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(6) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2013 को समर्पित कर दी जायेगी।

(7) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनॉक 09 जुलाई, 2012 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना)(के.75/रा.25–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–2–658/दस–2012 दिनॉक–20 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश नारायण)
उप सचिव।

संख्या–1157 (1)38–6–2012–58एसजीएसवाई/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, नवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,उ.प्र. द्वारा–आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग–3
8. राज्य योजना आयोग–1/2,
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश नारायण)
उप सचिव।